

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड

(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष प्रकरण क्रमांक: 19/2015

संस्थित दिनांक-06.05.2008

फाईलिंग नंबर-230303001672008

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मालनपुर, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

वि रु द्ध

-----अभियोजन

1. शंकर शर्मा पुत्र सुरेश शर्मा उम्र 28 साल

निवासी देवरी पी0एस0 मेहगांव

2. मुल्लूसिंह तोमर पुत्र मलखानसिंह तोमर

उम्र 22 साल निवासी छत्तर का पुरा थाना पोरसा

-----आरोपीगण

राज्य द्वारा श्री बी0एस0 बघेल विशेष अपर लोक अभियोजक

आरोपी शंकर द्वारा श्री अरविन्द वैशान्दर अधिवक्ता

आरोपी मुलू द्वारा श्री के0सी0 उपाध्याय अधिवक्ता

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक **16 अक्टूबर-2015** को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्तगण शंकर एवं मूलू के विरुद्ध धारा-394 सहपठित धारा-397 विकल्प में धारा-394 सहपठित 398 भा0द0सं0 एवं 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक 08.11.2007 को सुबह लगभग चार बजे पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड जो कि डकैती प्रभावित क्षेत्र में अधिसूचित है, के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर पर मानसिंह से बंदूक कीमती करीब 25000/-रुपये की लूट की और लूट के अनुक्रम में उसे प्राणघातक आयुध आग्नेयास्त्र से संघातिक उपहतिकारित की। एवं आरोपी मुल्लूसिंह के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा-3 सहपठित धारा-25(1-ख)(क) एवं धारा 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट एवं आयुध अधिनियम की धारा-27(1) के अंतर्गत यह भी आरोप है कि उसने दिनांक 08.11.07 को सुबह चार बजे औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर और दिनांक 21.02.08 को 12.30 बजे पाना पुल के पास टूटे पेड़ पम्प हाउस के पास जो डकैती प्रभावित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित है, अपने आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के आग्नेयास्त्र (कट्टा) लूट का अपराध करने के अनुक्रम में रखा तथा लूट के अपराध के अनुक्रम में अवैध रूप से रखे हुए आग्नेयास्त्र का उपयोग किया।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आरोपी शंकर तहसील मेहगांव का और मुल्लूसिंह तोमर पोरसा जिला मुरैना का रहने वाला है तथा प्रकरण में फरियादी मानसिंह का विचारण के दौरान देहांत हो चुका है और उसका परीक्षण नहीं हो सका है।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि फरियादी मानसिंह गुर्जर ने थाना मालनपुर पर इस आशय की रिपोर्ट की कि वह सिक्योरिटी गार्ड की नोबा फैक्ट्री मालनपुर में नौकरी करता है। दिनांक 07.11.07 को उसकी ड्यूटी फैक्ट्री के बी ब्लॉक में पीछे की तरफ थी। शाम छः बजे से सुबह छः बजे तक की उसकी ड्यूटी थी। दिनांक 08.11.07 को वह ड्यूटी पर था तो रात करीब सवा तीन बजे फैक्ट्री के अंदर से दो आदमी एक ठिगना व एक लंबा कद का आये तो उसने पूछा कि तुम कहाँ से आये हो। तो उन दोनों ने बताया कि दूध टैंकर के साथ पोरसा से आये हैं। तो उसने समझा कि लैट्रिन को आये होंगे। उनमें से एक व्यक्ति लेट्रिन को चला गया व एक उसके पास बैठा रहा तथा दूसरा भी लेट्रिन करने के बाद उसके पास आकर बैठ गया। 10-15 मिनट बाद संजय कटारे व शिवकुमार शर्मा गार्ड चैक करने राउण्ड पर आये और चले गये तो भी वह दोनों व्यक्ति उसके पास बैठे रहे। वह जैसे ही फैक्ट्री के अंदर करीब चार बजे टहलने को खड़ा हुआ तो उसमें एक व्यक्ति ने कहा कि कट्टा, बंदूक मुझे दे दो। उसने मना किया तो दूसरे लंबे वाले व्यक्ति ने उसके पेट में कट्टे से गोली मार दी जो आरपार निकल गई तथा बंदूक छीन ली। तब वह उनसे गुथ गया। उसमें एक को उसने जमीन पर डाल लिया तब दूसरे व्यक्ति ने उसकी छुड़ाई बंदूक से एक गोली मारी जो उसके बायीं तरफ पुट्टे के नीचे लगी। खून बहने लगा। वह जमीन पर गिर गया तब दोनों उसकी लायसेन्सी 315 बोर की बंदूक लेकर भाग गये। वह चिल्लाया कि बचाओ बचाओ लेकिन वह गोली मारकर उसकी बंदूक छीन ले गये। उसे मौके से जुल्फान ठेकेदार की लेकर उठाकर लाई। बदमाशों ने कट्टे के बट से उसके सिर व दाहिने हाथ में भी मारकर चोटें पहुँचाई तथा बदमाशों के सामने आने पर उन्हें पहचान लेना भी बताया। उक्त रिपोर्ट पर से थाना मालनपुर द्वारा अप0क0-140/07 धारा-394 भादवि, 25/27 आयुध अधिनियम एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। एवं जप्ती, गिरफ्तारी, व साक्षीगण के कथन लेकर एवं अन्य कार्यवाही पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध यह प्रकरण विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोग पत्र एवं सलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त शंकरसिंह एवं मुलू के विरुद्ध धारा-394 सहपठित धारा-397 विकल्प में धारा-394 सहपठित 398 भा0द0सं0 एवं 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत एवं आरोपी मूलू के विरुद्ध उक्त धाराओं के अलावा धारा-3 सहपठित धारा-25(1-ख)(क) एवं धारा 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट एवं आयुध अधिनियम की धारा-27(1) के अंतर्गत आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में रंजिशन झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। उसकी ओर से बचाव में किसी साक्षी का कथन नहीं कराया गया है।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1. क्या आरोपीगण मुलू एवं शंकर ने दिनांक 08.11.2007 को सुबह लगभग चार बजे पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड जो कि डकैती प्रभावित क्षेत्र में अधिसूचित है, के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर पर मानसिंह से बंदूक कीमती करीब 25000/-रुपये की लूट की और लूट के अनुक्रम में उसे प्राणघातक आयुध आग्नेयास्त्र से संघातिक उपहतिकारित की?

2. क्या आरोपी मूलसिंह ने दिनांक 08.11.07 को सुबह चार बजे औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर और दिनांक 21.02.08 को 12.30 बजे पाना पुल के पास टूटे पेड पम्प हाउस के पास जो डकैती प्रभावित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित है, अपने आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के आग्नेयास्त्र (कट्टा) लूट का अपराध करने के अनुक्रम में रखा?
3. क्या आरोपी मूलसिंह ने उक्त सुसंगत घटना दिनांक व समय पर ही लूट के अपराध के अनुक्रम में अवैध रूप से रखे हुए आग्नेयास्त्र का उपयोग किया?

—::—निष्कर्ष के आधार ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक— 1, 2 एवं 3 का निराकरण

6. उपरोक्त समस्त विचारणीय प्रश्नों का निराकरण सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इस कारण एक साथ किया जा रहा है।
7. अभियोजन की ओर से प्रकरण में डॉ० महेन्द्र कुमार पाण्डे (अ०सा० 1), सुरेश दुबे (अ०सा० 2), संजय कटारे (अ०सा० 3), बालकिशन (अ०सा० 4), योगेन्द्रसिंह कुशवाह (अ०सा० 5), शिवकुमार शर्मा (अ०सा० 6), जितेन्द्र नगाईच (अ०सा० 7), व्ही०के० दीवान (अ०सा० 8), अमरसिंह (अ०सा० 9), की साक्ष्य कराई है। आरोपी की ओर से बचाव साक्ष्य में किसी भी साक्षी की साक्ष्य नहीं करायी गयी है तथा अभियोजन की ओर से प्रदर्श पी.-1 लगायत—प्रदर्श पी.-15 के दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये हैं।
8. प्रकरण में घटना के पीड़ित फरियादी मानसिंह के फोटो हो जाने से उसका कथन नहीं हुआ है और अभियोजन के कथानक मुताबिक घटना के मौके के साक्षी संजय कटारे और शिवकुमार तथा जुल्फान ठेकेदार बताये गये हैं जिनमें से अभियोजन की ओर से संजय कटारे को अ०सा०-3 के रूप में, शिवकुमार को अ०सा०-6 के रूप में परीक्षित कराया गया है। जुल्फान ठेकेदार नामक कोई साक्षी नहीं है जो कि उक्त दोनों परीक्षित साक्षी घटना के लिये उक्त स्थिति में सर्वाधिक महत्व के साक्षी हो जाते हैं क्योंकि अभियोजन कथानक मुताबिक बताई गई घटना में मूलतः यह बताया गया है कि फरियादी मानसिंह घटना दिनांक को रवि सिक्योरिटी में गनर की नौकरी करता था और नोवा फैक्ट्री मालनपुर में रात्रि के समय सुरक्षा गार्ड के रूप में फैक्ट्री के पीछे की तरफ अपनी ड्यूटी कर रहा था। तब रात करीब सवा तीन बजे उसके पास दो व्यक्ति आये जिनमें से एक ठिगना था व एक लंबा था जिन्होंने पोरसा चिलर दूध के टैंकर से आना बताया और उसके पास बैठे। जिन्हें अन्य सुरक्षा गार्ड संजय कटारे व शिवकुमार ने भी देखा था। मानसिंह अपनी लायसेन्सी 315 बोर की रायफल मय कारतूसों के लेकर ड्यूटी कर रहा था। ड्यूटी के दौरान संजय कटारे व शिवकुमार भी उससे कारतूस लेने आये थे तब उन्होंने भी उक्त दोनों लोगों को देखा था। तथा उनके जाने के बाद दोनों लोगों में से एक ने उससे रायफल मांगी थी। मना करने पर दूसरे ने कट्टा निकालकर गोली मारी जो पेट में दाहिनी ओर लगते हुए पीछे निकल गई और उसकी रायफल छीन ली। दूसरे ने उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया। तथा उसकी छीनी गई लायसेन्सी बंदूक से भी

उसे गोली मारी जो बांये पुट्टे के नीचे लगी थी। चिल्लाने पर जुल्फान ठेकेदार ने उसे आकर उठाया था। ऐसे में घटना कारित करने वाले दोनों अभियुक्तों को संजय कटारे और शिवकुमार शर्मा द्वारा भी देखा जाना बताया गया है। चूंकि आहत मानसिंह मृत हो गया और जुल्फान ठेकेदार साक्षी नहीं है इसलिये संजय कटारे और शिवकुमार अ0सा0-6 के अभिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानी पूर्वक विश्लेषण करना होगा क्योंकि वे प्रकरण में सर्वाधिक महत्व के साक्षी हो गये हैं।

9. संजय कटारे अ0सा0-3 ने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपीगण को पहचानते हुए कथन दिनांक 17.01.14 को यह बताया है कि तीन चार साल पहले वह नोवा फैक्ट्री मालनपुर में सिक्थोरिटी गार्ड था। रात को करीब डेढ दो बजे की बात है। उस समय वह फैक्ट्री के अंदर पीछे की तरफ राउण्ड पर था तब उसने दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति मानसिंह जिस कथन में मोहनसिंह लिखा गया है, जिसे गोली लगी थी उसके पास खड़ा देखा था। दूसरा बैठा था। दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे और उसे देखते ही दोनों ने बातचीत करना बंद कर दिया था। उसके बाद वह फैक्ट्री के गेट पर आकर बैठा था। उसके साथ रामबाबू शर्मा भी ड्यूटी पर था। बालकिशन पण्डितजी रामबाबू शर्मा, रामकुमार शर्मा तीनों लोग फैक्ट्री के गेट पर थे। उसने गेट पर मौजूद रामबाबू शर्मा को रिपोर्ट दी थी कि फैक्ट्री के पीछे की तरफ दो लोग बातचीत कर रहे थे और मानसिंह के पास मौजूद था। उसके करीब एक डेढ घण्टे बाद फैक्ट्री के पीछे की तरफ से गोली चलने की आवाज आई थी। तो जिस तरफ से गोली चलने की आवाज आई उस तरफ रामबाबू शर्मा गये थे। पीछे वह भी गया था। जब वह पहुंचने को हुआ तब रामबाबू शर्मा मानसिंह को मार्शल से लेकर आ रहे थे। वह फैक्ट्री के गेट पर ही खड़ा रहा। रामबाबू मानसिंह को मार्शल गाड़ी से बिरला अस्पताल ले गये थे। उसने मानसिंह को मार्शल गाड़ी में लेटे हुए देखा था। एवं गोली शरीर में कहाँ लगी थी, यह उसे मालूम नहीं है। उसने यह भी बताया है कि उस समय रात अंधेरी थी। कोहरा पड़ रहा था। मानसिंह के पास जो दो लोग बातचीत कर रहे थे उन्हें वह नहीं पहचान सकता है। सामने आने पर भी उसने पहचानने से इन्कार किया है। जिस पर अभियोजन की ओर से उसे पक्ष विरोधी घोषित कर पूछे गये सूचक प्रश्नों में भी उसने यह स्वीकार किया है कि मानसिंह के पास जो दो लड़के बैठे थे उनकी उम्र 25 से 30 साल की रही होगी और घटना के समय रामनिवास ने आवाज लगाई थी कि मानसिंह को गोली लग गई है। घटना के पहले रामनिवास को मानसिंह को आवाज लगाते हुए नहीं सुना था। घटनास्थल से मेनगेट तक पहुंचने में 10-5 मिनट का समय लगता है। रामनिवास चिल्ला रहा था कि मानसिंह के पास जो लड़के बैठे थे उन्होंने मानसिंह को गोली मार दी है। उस समय मानसिंह के पास बंदूक थी। रामनिवास यह भी चिल्ला रहा था कि मानसिंह को गोली मारने के बाद उसके पास बैठे दोनों लड़के उसकी बंदूक को छीनकर ले गये हैं।

10. अ0सा0-3 ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-4 में यह भी स्वीकार किया है कि मानसिंह खून से लथपथ हालत में था। यह भी स्वीकार किया है कि मानसिंह रसोई घर के पास फैक्ट्री में पड़ा था। लेकिन इस बात से इन्कार किया है कि जिन लड़कों ने मानसिंह के साथ घटना की थी उन्हें वह पहचान लेगा। ऐसा उसने पुलिस को प्र0पी0-8 का बयान देते समय बताया था। आरोपीगण से मिल जाने से भी वह इन्कार करते हुए पैरा-5 में यह कहता है कि फैक्ट्री मेनगेट पर आवाज सुनायी नहीं दे सकती है और

उसने मानसिंह को घटनास्थल पर बैठे हुए नहीं देखा था। रास्ते में देखा था। जब रामनिवास चिल्लाये थे तब वही फैक्ट्री के मेनगेट व घटनास्थल के बीच रास्ते में थे। रामनिवास भी बंदूक लिये था। रामनिवास ने भी फायर किया होगा। क्योंकि बंदूक की आवाज आई थी। हालांकि वह इस बात से इन्कार करता है कि रामनिवास की बंदूक की गोली ही मानसिंह को लग गई। पैरा-6 में उसने यह कहा है कि जब वह अपनी ड्यूटी पर गया था तब दोनों लड़के सर्दी होने के कारण मुंह बांधे हुए थे और घटनास्थल से फैक्ट्री के मेनगेट की दूरी दो तीन खेत की होगी। मानसिंह के पास दो लड़के बैठे थे। उनसे उसकी कोई बातचीत नहीं हुई थी। उसने उनके बारे में मानसिंह से पूछा कि वह कौन लड़के हैं। साक्षी ने स्वतः में यह भी कहा कि आसपास के तमाम लड़के रोजाना आकर मानसिंह के पास बैठते रहते थे और रात में करीब डेढ़ बजे उसने राउण्ड लिया था। तब मानसिंह के पास कोई बैठा नहीं था। उसके बाद वह दुबारा राउण्ड लेने नहीं गया।

11. इस प्रकार से अ0सा0-3 के द्वारा घटना कारित करने वाले व्यक्तियों को पहचानने का समर्थन नहीं किया है जबकि उक्त साक्षी द्वारा कथानक मुताबिक घटना कारित करने वालों को पहचानना बताया गया है। क्योंकि उसने राउण्ड के समय उन्हें मानसिंह के पास बैठे और बातचीत करते हुए देखा था जिससे वह न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में इन्कार करता है। उसके अभिसाक्ष्य से केवल इस तथ्य की पुष्टि अधिकतम हो सकती है कि मानसिंह नामक सुरक्षा गार्ड नोवा फैक्ट्री में घटना दिनांक को रात्रि में ड्यूटी कर रहा था और फैक्ट्री के पीछे की तरफ ड्यूटीरत था। तब उसे ड्यूटी के दौरान गोली लगने की घटना घटी थी और उसकी रायफल भी लूटी गई थी। किन्तु मानसिंह के साथ घटना किसने की इस बारे में अ0सा0-3 का कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है। और वह विचाराधीन आरोपीगण के विरुद्ध अभिसाक्ष्य नहीं देता है। बल्कि वह जो चिल्लाने की आवाज सुनना बताता है वह भी रामनिवास नामक व्यक्ति बताता है और रामनिवास नामक कोई साक्षी अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है। न ही इस नाम का कोई साक्षी बताया गया है। रामबाबू शर्मा नामक साक्षी अवश्य बताया गया है। जिसे अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। ऐसे में दूसरे साक्षी शिवकुमार शर्मा अ0सा0-6 क अभिसाक्ष्य की सूक्ष्मता से मूल्यांकित किये जाने की आवश्यकता है।

12. शिवकुमार शर्मा अ0सा0-6 के मुताबिक वह घटना दिनांक 15.05.15 को दिये अभिसाक्ष्य में करीब पांच वर्ष पुरानी बताते हुए यह कहता है कि उस समय वह और कटारे मालनपुर स्थित नोवा फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड थे। रात को करीब सवा तीन बजे वह राउण्ड पर गया था तब उसने देखा था कि फैक्ट्री के अंदर गनमेन के साथ साथ अन्य लोग बैठे थे जो आग जला रहे थे। उसके सामने गनर ने एक व्यक्ति को लकड़ी लाने के लिये पहुंचा दिया था। उसी फैक्ट्री में ठेकेदार के कर्मचारी रहते हैं तब उसने यह समझा था कि ठेकेदार का कर्मचारी होगा और वापिस फैक्ट्री के मेनगेट पर आ गया था। सुबह करीब चार बजे उसे गोली की आवाज सुनाई दी थी तब वह व गनमेन कटारे गोली की आवाज सुनकर दौड़े थे और जाकर देखा था तो हमलावर भाग गये थे। गनमेन गुर्जर था जिसे गोली लगी थी। घटना के संबंध में पुलिस ने उसका बयान लिया था। साक्षी ने प्र0पी0-9 व 10 पर अपने हस्ताक्षर बताये हैं और कोई समर्थन नहीं किया है। तथा पुलिस द्वारा उसके सामने कोई कार्यवाही किये जाने से भी वह इन्कार करता है जिस पर से अभियोजन द्वारा उसे भी पक्ष विरोधी घोषित कर पूछे गये सूचन प्रश्नों में पैरा-2 में उसने

इस बात से इन्कार किया है कि पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल से एक काले रंग की बांये पैर की चप्पल जिसका नंबर-6 था, उसे प्र0पी0-10 का जप्ती पत्रक बनाकर जप्त किया था। उसने इस बात से भी इन्कार किया है कि पुलिस ने मौके से उसके सामने एक पीतल का खाली खोखा 315 बोर का, गोली का बुलेट 315 बोर का व एक सफेद साफी को प्र0पी0-11 का जप्ती पत्रक बनाकर जप्त किया था। यह अवश्य स्वीकार किया है कि जिस गनमेन को गोली लगी थी, उसका नाम मानसिंह था। तथा जब वह राउण्ड लेने गया था तो उसके साथ संजय कटारे भी था। उसने यह कहा है कि दो अज्ञात व्यक्ति बैठे थे जिनमें एक लंबा गोरा, दूसरा ठिगना और सांवले रंग का था। लेकिन उसने इस बात से इन्कार किया है कि पुलिस को बयान देते समय उसने आरोपियों के नाम बताये थे। तथा आरोपी शंकर शर्मा व मुलुसिंह के द्वारा गोली चलाना बताया था। जबकि प्र0पी0-12 के उसके पुलिस कथन में ऐसा ही उल्लेख है जिससे वह इन्कार करते हुए अभियोजन का समर्थन नहीं करता है। उसने इस बात से भी इन्कार किया है कि उक्त दोनों आरोपीगण के बारे में मानसिंह ने उसे यह बताया था कि गोली उन्हें दोनों आरोपियों ने मारकर उसकी बंदूक छीन ली है। इस बात से भी वह इन्कार करता है कि आरोपीगण को गोली मारते हुए उसने देखा था और बंदूक लूटते हुए भी देखा था।

13. अ0सा0-6 के पैरा-3 में यह तथ्य भी आया है कि वह नोवा फ़ैक्ट्री में काम करते हुए 17 महीना उसे हो गये थे और घटना के बाद उसे फ़ैक्ट्री से निकाल दिया था। उसकी ड्यूटी रात 10.00 बजे से 6.00 बजे तक के लिये थे। कुल सात सुरक्षा कर्मी रहते थे। ड्यूटी सुपरवाइजर लगाता था। और रजिस्टर भी ड्यूटी का रहता था। सुरक्षा के लिये सात पॉइन्ट बनाये गये थे और सौ सौ गज की दूरी पर पॉइन्ट थे। उसकी ड्यूटी उस पॉइन्ट पर थी जहाँ ट्रक के सैंपल लिये जाते हैं। और मानसिंह की ड्यूटी उससे 300 गज की दूरी पर थी। बीच बीच में पॉइन्ट और थे। मानसिंह के पास जो दो लोग बैठे थे उनमें से किसी को सामने आने पर नहीं पहचान सकता है और उसने यह अंदाजा लगाया था कि फ़ैक्ट्री के ही कर्मचारी होंगे। मानसिंह को गोली किसने मारी, उसे यह पता नहीं है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि फ़ैक्ट्री के चारों ओर उजाले के लिये लाईट की व्यवस्था है। जहाँ मानसिंह की ड्यूटी थी वहाँ लाईट की व्यवस्था नहीं थी। फ़ैक्ट्री के चारों ओर बाउण्ड्री बनी है। इस प्रकार से उक्त साक्षी भी केवल इस बात की ही पुष्टि करता है कि आहत मानसिंह सुरक्षा गार्ड के रूप में घटना के समय नोवा फ़ैक्ट्री में पीछे के पॉइन्ट पर ड्यूटी कर रहा था और ड्यूटी के दौरान उसके साथ करीब रात चार बजे घटना घटी जिसमें उसे गोली मारी गई और उसकी बंदूक छीनकर ले जाई गई। गोली किसने मारी और बंदूक कौन छीनकर ले गया इसके बारे में उसने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

14. इस प्रकार से उक्त दोनों महत्वपूर्ण साक्षी जो घटना के चक्षुदर्शी साक्षी की हैसियत भी रखते हैं, उनके द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध कोई तथ्य नहीं बताये गये हैं। बालकिशन अ0सा0-4 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसे भी सुरक्षा गार्ड नोवा फ़ैक्ट्री में तैनात होना बताया गया है। उसके अभिसाक्ष्य को देखा जाये तो उसने अपने मुख्य परीक्षण के पैरा-1 में यह बताया है कि वह आहत मानसिंह को जानता था जो नोवा फ़ैक्ट्री में गनमेन था। घटना वर्ष 2007 की सुबह चार बजे की बताते हुए उसने यह

बताया है कि वह उस समय फैक्ट्री के गेट पर ड्यूटी कर रहा था। मानसिंह फैक्ट्री के अंदर पीछे की तरफ ड्यूटी कर रहा था। गोली चलने की आवाज आने पर बाउण्ड्री की तरफ से जहाँ गार्ड तैनात रहते हैं वहाँ उसने जाकर मानसिंह को घायल अवस्था में बाउण्ड्री के पास पड़ा देखा था जिसके पुट्टे में गोली लगी थी और घाव देखा था। उसके पास कोई नहीं मिला। गोली किसने मारी, इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। मानसिंह को बिरला अस्पताल ग्वालियर को इलाज के लिये ले गये थे। जहाँ उसका एक महीने तक इलाज चला था। उसने भी यह बताया है कि मानसिंह पर बंदूक थी लेकिन जब वह घायल अवस्था में पड़ा था तब उसके पास बंदूक नहीं थी। उसने फैक्ट्री के अंदर भी किसी को यह नहीं बताया था कि मानसिंह को गोली किसने मारी और कैसे लगी। वह यह कहता है कि उसने भी बंदूक से फायर किया था।

15. उक्त ने पैरा-2 में यह कहा है कि उसने मानसिंह के पास किसी व्यक्ति को बैठे हुए या उसके पास आते जाते नहीं देखा और गोली किसने मारी उसे यह पता नहीं है। उसके मुताबिक नोवा फैक्ट्री 50 बीघा क्षेत्रफल में है और जहाँ उसकी ड्यूटी थी वहाँ से घटनास्थल काफी दूरी पर था। घटनास्थल से चिल्लाने पर उसकी ड्यूटी वाले स्थान पर आवाज सुनाई नहीं दी थी। न उसने घटना के बाद किसी को बुलाते हुए या आवाज लगाते हुए सुना। इस तरह से उक्त साक्षी भी केवल मानसिंह गनमेन को ड्यूटी करने के दौरान गोली लगने और उसकी बंदूक गायब होने मात्र की पुष्टि करता है। अन्य किसी बिन्दु पर उसका कोई समर्थन नहीं है। और अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी भी घोषित नहीं किया गया है। ऐसा साक्षी जिसे पक्ष विरोधी घोषित न किया जाये उससे अभियोजन अन्यथा जाने से विवंधित होता है। जैसा कि न्याय दृष्टांत **राकेश विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य 2005 भाग-2 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 एस0एन0-46** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

16. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने भी तर्कों में यह व्यक्त किया है कि किसी भी साक्षी ने आरोपीगण के विरुद्ध साक्ष्य नहीं दी है और पूरा मामला संदिग्ध है। आहत मानसिंह के साथ घटना किसने की, इसके बारे में अभियोजन की साक्ष्य न होने से आरोपीगण को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की है जबकि घटनास्थल से जप्त चप्पल, साफी, खाली खोखा और मुलूसिंह से बंदूक की जप्ती के आधार पर मामला प्रमाणित माने जाने का तर्क विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा किया गया है।

17. अभिलेख पर अभियोजन की जो अन्य साक्ष्य आई है उसमें डॉ0 व्ही0के0दीवान अ0सा0-8 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 08.11.07 को बिरला अस्पताल ग्वालियर में विजिटिंग कन्सलटेंट होते हुए सुबह सात बजे आहत मानसिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी ग्राम पलिया थाना गोहद को मालनपुर पुलिस द्वारा लाये जाने पर उसका परीक्षण करना बताते हुए यह कहा है कि उक्त आहत गोली लगने के कारण इलाज हेतु बिरला अस्पताल में भर्ती हुआ था जिसे उसने देखा था और होश में था जिसके उसने गोली के अंदर घुसने का घाव दाहिनी ओर कमर में पीछे की बीच की लाईन से पांच सेमी बाहर को, 1.5 गुणित 1.5 से.मी. था जिसके किनारे फटे हुए थे, गोली के बाहर निकलने का घाव दाहिनी ओर कमर में उपर वाले भाग में 5 से.मी. गुणित 4 से.मी. का जिससे आतें बाहर निकल रही थीं, गोली लगने का अंदर जाने

का घाव बाईं ओर पुट्टे पर बीच की लाईन से 4 से.मी. बाहर की ओर, 01 गुणित 01 से.मी. था जिसके किनारे फटे हुए थे, उक्त घाव के चारों ओर खाल के जलने के व बारूद के निशान थे जो कि 6 से.मी. तथा 2.5 गुणित 2.5 से.मी. के भाग में थे। एवं फटा हुआ घाव सिर पर बीच में फ्रंटल पैराइटल भाग में लंबा 2 गुणित 1/4 से.मी. त्वचा की गहराई तक था तथा दूसरा घाव इसके 04 से.मी. पीछे को लंबा तथा 5 से.मी. 1/4 से.मी. का था तथा फटा हुआ घाव दाहिने हाथ पर बीच वाली उंगली पर डेढ से.मी. गुणित आधा से.मी. तथा कलाई पर 01 गुणित 1/4 से.मी. गुणित 1/4 से.मी. की चोटें पायी थीं।

18. उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी बताया है कि मानसिंह के सिर, पेट, सीने और कमर की हड्डियों के एकसरे परीक्षण की सलाह उसने दी थी और उसकी चोट नंबर-1 लगायत 3 किसी आग्नेय शस्त्र के द्वारा शेष किसी सख्त व मौथरी वस्तु से परीक्षण करने के 24 घण्टे के अंतराल की होना प्रतीत होती थी। आहत के खून लगे कपड़े ड्यूटी डॉक्टर ने सील्ड करके पुलिस को पहले ही दे दिये थे। मानसिंह की चोट गंभीर प्रकृति की थी। क्योंकि पेट में आंतें बाहर निकल रही थीं जिसकी उसने प्र0पी0-13 की मेडिकल रिपोर्ट तैयार की थी और पैरा-4 में यह कहा है कि प्र0पी0-13 में उल्लेखित सभी चोटें उसने आहत को देखकर लिखी थीं। आग्नेय शस्त्र की चोट कितने बोर की थी। यह बैलेस्टिक विशेषज्ञ ही बता सकता है। उसने आहत का एक ही बार परीक्षण किया था। उसके शरीर में गोली पाई या नहीं यह ऑपरेशन करने वाला चिकित्सक ही बता सकता है। उसने बताने में असमर्थता व्यक्त करते हुए यह भी कहा है कि चोटें गोली से लगी थीं या छरों की पहुंची थीं, यह वह नहीं कह सकता। लेकिन छरों के कई छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं और चोट क्रमांक-3 के उपर जलने व बारूद के निशान थे। वह चोटें तीन फीट से कम दूरी से पहुंचाई जाना तथा चोट क्र0-1 तीन फीट से अधिक दूरी से पहुंचाई जाना प्रतीत होती थी। चोट क्रमांक-1 व 3 दोनों ही एक ही गोली से आने की संभावना बहुत कम बताई है। अलग-अलग गोली चलने पर आने की संभावना व्यक्त की है।

19. डॉ० महेन्द्र कुमार पाण्डे अ0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 08.11.07 को बिरला अस्पताल ग्वालियर में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ रहना बताते हुए आहत मानसिंह के रेडियोलॉजी विभाग के रेडियोग्राफर द्वारा पांच एकसरे चित्र प्र0पी0-1 लगायत 5 निकाले जाने और उसके द्वारा उनका परीक्षण करना बताते हुए ह कहा है कि प्र0पी0-1 का एकसरे सिर का, प्र0पी0-2 का एकसरे छाती का था जिनमें कोई अस्थिभंग प्रदर्शित नहीं हो रहा था। कमर, पेट व कूल्हे के एकसरे चित्र प्र0पी0-3 लगायत 5 के अवलोकन करने पर शरीर के मेरुदण्ड की एल-5 - एस-1 के स्तर पर धातु घनत्व की बाह्य वस्तु की छाया दिखाई दे रही थी। इसी प्रकार कूल्हे के एकसरे परीक्षण में और मेरुदण्ड के दाहिने बाहरी ओर एकसरे की धातु घनत्व की छाया दिखाई दे रही थी जिसका उसने प्र0पी0-6 की एकसरे रिपोर्ट प्र0पी0-1 लगायत 5 के एकसरे चित्रों के अवलोकन के आधार पर तैयार की थी तथा यह स्वीकार किया है कि आहत मानसिंह न तो उसके समक्ष लाया गया था और न ही उसने स्वयं के द्वारा उसके एकसरे चित्र लिया था। डॉ० ए० कुशवंशी ने एकसरे लिये थे। इस प्रकार से उक्त दोनों चिकित्सकों के द्वारा दिया गया अभिसाक्ष्य और प्र0पी0-6 एवं प्र0पी0-13 की मेडिकल रिपोर्टों के आधार पर यह तो प्रमाणित होता है कि अभियोजन द्वारा बताई गई घटना दिनांक 07.11.07 को आहत मानसिंह को आई चोटें सख्त व मौथरी वस्तु के अलावा

आग्नेय शस्त्र के द्वारा भी पहुंची थीं जिससे उसकी चोटों की प्रकृति गंभीर और प्राण घातक हो जाना तो प्रमाणित है किन्तु आहत मानसिंह को आई चोटें आरोपीगण या उनमें से किसी के द्वारा पहुंचाई गई, ऐसा अभिलेख पर कोई सुदृढ़ प्रमाण न होने से चिकित्सकों की साक्ष्य औपचारिक स्वरूप की ही रह जाती हैं और उस पर से आरोपीगण के विरुद्ध कोई उपधारणा निर्मित नहीं होती है।

20. अन्य साक्षियों में से निरीक्षक अमरसिंह अ0सा0-9 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 08.11.07 को थाना मालनपुर में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ रहते हुए घायल अवस्था में फरियादी मानसिंह गुर्जर को उसके साथी दीपचंद के द्वारा लाये जाने पर अज्ञात बदमाशों के द्वारा उससे लूट किये जाने की रिपोर्ट लिखाई गई थी जिस पर से उसने प्र0पी0-14 की एफआईआर दर्ज कर अप0क्र0-140/07 धारा-394 भादवि एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत लेखबद्ध की थी। तत्पश्चात साक्षी रामबाबू शर्मा की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर प्र0पी0-15 का नक्शामौका तैयार किया गया था और घटनास्थल से काले रंग की बांये पैर की एक चप्पल प्र0पी0-10 का जप्ती पत्रक बनाकर तथा घटनास्थल से ही 315 बोर का पीतल का खाली खोखा, एक गोली का बुलेट तथा एक सफेद साड़ी जिसमें खून के धब्बे लगे हुए थे उन्हें भी प्र0पी0-11 का जप्ती पत्रक बनाकर जप्त किया था। तत्पश्चात विवेचना में फरियादी मानसिंह के अलावा बालकिशन, संजय कटारे और शिवकुमार के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करना कहा है।

21. अ0सा0-9 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कहा है कि वह घटना के करीब डेढ़ माह तक थाना प्रभारी मालनपुर रहा था और घटनास्थल के चारों ओर बाउण्ड्री बॉल बनी होकर मेनगेट बना था जहाँ गार्ड तैनात रहता था। फैंक्ट्री के अंदर लाईट की व्यवस्था थी और फैंक्ट्री के अंदर प्रवेश करते समय मेनगेट का ही उपयोग होता है। जहाँ आने जाने वालों की चैकिंग गार्ड द्वारा की जाती है। घटना के बाद आरोपी कहीं से भागे, कहीं को भागे, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके द्वारा किये गये अनुसंधान में आरोपीगण के नाम उजागर नहीं हुए थे। इस प्रकार से उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य से फरियादी मानसिंह के साथ लूट की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई जाना और मौके की कार्यवाही की जाना उसके द्वारा प्रमाणित किया गया है किन्तु घटना किसके द्वारा कारित की गई, ऐसा कोई तथ्य उसके अनुसंधान में नहीं आया है। ऐसे में उक्त साक्षी का अभिसाक्ष्य भी आरोपीगण के विरुद्ध नहीं माना जा सकता है। न ही उससे अपराध प्रमाणित माना जा सकता है।

22. इस प्रकार से अभिलेख पर दोनों आरोपीगण के विरुद्ध आहत मानसिंह के साथ उसकी लायसेन्सी रायफल लूटने और उस पर प्राण घातक आयुध आग्नेय शस्त्र से संघातिक उपहतियाँ कारित किये जाने का मामला पूरी तरह से संदिग्ध है और यह प्रमाणित नहीं होता है इसलिये आरोपीगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा-394 सहपठित धारा-397 भादवि विकल्प में लगाये गये आरोप धारा-394 सहपठित धारा-398 भादवि और मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा-13 के आरोप कतई प्रमाणित नहीं होते हैं। अतः उक्त आरोपों से दोनों आरोपीगण को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

23. आरोपीगण में से आरोपी मुलूसिंह के विरुद्ध आयुध अधिनियम 1959 की धारा-3 एवं 5 (1) के उल्लंघन के संबंध में धारा-25(1-ख)(क) एवं 27(1) सहपठित धारा-13 एम0पी0डी0वी0पी0के0 एक्ट के भी आरोप विरचित हैं जिनके संबंध में पृथक से विश्लेषण की आवश्यकता है।

24. इस संबंध में अभिलेख पर जो साक्षी परीक्षित कराये गये हैं, उनमें निरीक्षक जितेन्द्र नगाईच अ0सा0-7 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 25.01.08 का वह थाना प्रभारी दिमनी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वाहन चैकिंग के दौरान मुरैना दिमनी रोड पर बड़ागांव तिराहा के पास शंकर शर्मा निवासी ग्राम देवरी को एक टी0वी0एस0 मोटरसाईकिल से आते हुए रोका गया था और उसके पास एक 315 बोर की रायफल क्रमांक-862515 मय दो जिन्दा कारतूसों के मिली थी जिसे रखने का उसके पास कोई लायसेन्स नहीं था जिससे उसने मौके पर रायफल व कारतूसों को जप्त किया था और शंकर को गिरफ्तार किया था। फिर थाने वापिस आकर इस संबंध में अप0क्र0-12/08 धारा-25/27 आयुध अधिनियम के तहत थाना दिमनी में पंजीबद्ध किया गया था जिसकी जप्ती व गिरफ्तारी व एफआईआर की छायाप्रति पेश करना बताते हुए यह कहा है कि रायफल पर अंकित नंबर के आधार पर ग्वालियर चंबल संभाग के सभी थाना प्रभारियों को रेडियो मैसेज के द्वारा सूचित किया गया था। उक्त रेडियो मैसेज के आधार पर थाना मालनपुर द्वारा आरोपी शंकर के विरुद्ध प्रकरण में कार्यवाही की गई थी।

25. अ0सा0-7 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी कहा है कि जो रेडियो मैसेज किया गया था उसकी प्रति प्रकरण में संलग्न नहीं है और चैकिंग के दौरान निकलने संबंधी रोजनामचासान्हा, रवानगी व वापिसी के बारे में भी बताने में असमर्थता व्यक्त की है और उसकी भी प्रति संलग्न नहीं है। उसने यह स्वीकार किया है कि जप्ती, गिरफ्तारी पत्रकों पर किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं हैं। जिसके संबंध में उसने यह स्पष्टीकरण दिया है कि रात का समय होने से कोई स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध नहीं था। थाने पर बैठकर कार्यवाही करने से उसने इन्कार किया है। इस संबंध में आरोपी शंकर की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि उक्त साक्षी की मौखिक साक्ष्य दस्तावेजी प्रमाण के अभाव में ग्राह्ययोग्य नहीं है तथा जिस जप्ती पत्रक के माध्यम से रायफल की जप्ती बताई गई है वह मूल तलब नहीं की गई है। न ही प्रदर्शित कराई गई है न ही अब तक पेश हुई है और रोजनामचासान्हा, रवानगी वापिसी रेडियो मैसेज की प्रति के न होने से साक्षी विश्वसनीय नहीं है। जबकि विशेष अपर लोक अभियोजक का तर्क है कि रात के समय की चैकिंग की घटना है और पदीय हैसियत से साक्षी ने कार्यवाही की है इसलिये उसे विश्वसनीय माना जावे।

26. प्रकरण में अ0सा0-7 के द्वारा जिस कार्यवाही के बाबत साक्ष्य दी गई है उससे संबंधित दस्तावेजों को मूल से बुलाकर प्रमाणित नहीं कराया गया है। फोटोप्रतियाँ दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आती हैं। यदि फोटो प्रति भी सत्यापित करके ली जाती तो उस पर से कार्यवाही हो सकती थी। रोजनामचा, रवानगी, वापिसी पेश नहीं हैं तथा थाना दिमनी के अंतर्गत जो अपराध पंजीबद्ध हुआ उसका विचारण संबंधित न्यायालय में ही हो सकता है और उस पर गुण-दोषों पर निष्कर्ष प्राप्त हो सकता है। जप्ती गिरफ्तारी का कोई भी साक्षी पेश नहीं किया गया है जिन्हें पुलिस कर्मी होने से आहूत किया जा सकता

था। किन्तु लंबे विचारण के बाद भी उसे पेश नहीं किया गया है। ऐसे में केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि आहत मानसिंह गुर्जर की जो रायफल की लूट हुई, वह आरोपी शंकर के द्वारा अंजाम दी गई थी। और दस्तावेजी प्रमाण के अभाव में केवल मौखिक साक्ष्य पर भरोसा कर दोषसिद्धि उपरोक्त परिस्थितियों में नहीं की जा सकती है। जबकि मूल अपराध भी संदिग्ध पाया गया है और आरोपी शंकर के विरुद्ध प्रमाणित नहीं हुआ है।

27. सुरेश दुबे अ0सा0-2 के द्वारा आर्म्स मुहर्रिर के पद पर पुलिस लाइन भिण्ड में पदस्थ रहते हुए दिनांक 16.03.08 को थाना मालनपुर की ओर से सीलबंद कपड़े की थैली में रखा हुआ कट्टा आर्टिकल-ए उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था जिसकी उसने नापतौल करने के बाद परीक्षण किया था। कट्टे का ट्रैगर, हैमर कार्यशील अवस्था में था और उससे कारतूस रखकर फायर किया जा सकता था जिसकी उसने प्र0पी0-7 की जांच रिपोर्ट तैयार की थी और जांच उपरान्त कट्टा पुनः सीलबंद कर आरक्षक राजेन्द्रसिंह को वापिस सौंप दिया था। उसने आग्नेय शस्त्रों के परीक्षण की योग्यता एवं अधिकार के संबंध में भी अभिसाक्ष्य देते हुए यह कहा है कि उसने कट्टे का एक्शन चैक किया था। कारतूस रखकर टेस्ट फायर नहीं किया था। इस प्रकार से उक्त आर्म्स मुहर्रिर 315 बोर के कट्टे की जांच करना बताता है जबकि जितेन्द्र नगाईच अ0सा0-7 रायफल जप्त होना बताता है। कट्टा जप्ती के संबंध में कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। ऐसे में उक्त साक्षी की अभिसाक्ष्य महत्वहीन हो जाती है और उससे कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं होता है।

28. योगेन्द्रसिंह कुशवाह अ0सा0-5 ने अपने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दिनांक 29.03.08 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स क्लर्क के पद पर पदस्थ रहना बताते हुए पुलिस अधीक्षक भिण्ड के पत्र क्रमांक-159 दिनांक 18.03.08 थाना मालनपुर के अप0क्र0-140/07 की केसडायरी एवं सीलबंद शस्त्र अवलोकन हेतु आरक्षक वचनेश प्रजापति द्वारा पेश किये गये थे जिनका तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी सुहैल अली के द्वारा अवलोकन करने के पश्चात आरोपी मुलूसिंह के विरुद्ध प्र0पी0-9 की अभियोजन स्वीकृति 315 बोर का अवैध कट्टा रखने के कारण प्रदान की गई थी जिस पर उसने उसने उनके व अपने लघु हस्ताक्षरों की पहचान की और उसके संबंध में आरोपी मुलू की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में पैरा-3 में यह तथ्य आया है कि सील नमूना उसके पास नहीं आया था और सील नमूना इसलिये भेजा जाता है ताकि आर्टिकल के बदलाव की संभावना न रहे। सीलबंद पैकेट खोलकर कट्टा चैक किया था उसमें कोई कारतूस नहीं था। कट्टा चालू हालत में था या नहीं, वह यह नहीं बता सकता है। यह स्वीकार किया है कि उनके कार्यालय में अभियोजन स्वीकृति के आदेशों के कम्प्यूट्राईज्ड प्रोफार्मा कम्प्यूटर में सुरक्षित रहता है किन्तु उसने यह कहा है कि जब जिला दण्डाधिकारी अभियोजन चलाने की स्वीकृति देते हैं तब उसे तैयार किया जाता है और जिला दण्डाधिकारी ने पूरे विवेक व विचार के बाद प्र0पी0-9 की स्वीकृति दी थी।

29. इस साक्षी के अभिसाक्ष्य से अभियोजन चलाने की स्वीकृति दिये जाने में जिला दण्डाधिकारी द्वारा आयुध अधिनियम 1959 की धारा-39 के तहत न्यायिक विवेक का उपयोग करते हुए स्वीकृति प्रदान करना प्रमाणित अवश्य होता है। किन्तु जिस कट्टे के आधार पर स्वीकृति दी गई है उसकी जप्ती ही स्वतंत्र साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है ऐसे

में अभियोजन स्वीकृति का दस्तावेज औपचारिक स्वरूप का रह जाता है। और उससे धारा-3 या धारा-5 आयुध अधिनियम 1959 का आरोपी मूल द्वारा उल्लंघन किये जाने का प्रमाण नहीं मिलता है और जप्ती ही प्रमाणित न होने से अवैध आग्नेय शस्त्र कब्जे में रखने और उसका किसी अपराध में उपयोग किये जाने के अपराध को भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। इसलिये आरोपी मूलसिंह के विरुद्ध धारा-3 एवं 5(1) आयुध अधिनियम 1959 का उल्लंघन किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं है इसलिये वह धारा-25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम एवं 27(1) आयुध अधिनियम 1959 के आरोपों में भी संदेह का लाभ पाने का पात्र है। अतः आरोपी मूलसिंह को धारा-25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम एवं धारा-13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट तथा 27(1) आयुध अधिनियम 1959 के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

30. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

31. प्रकरण में जप्तशुदा बताया गया 315 बोर का देशी कट्टा एवं कारतूस खोखा व बुलेट विधिवत निराकरण हेतु अपील अवधि उपरान्त डी0एम0 भिण्ड की ओर भेजे जावें। एवं जप्तशुदा 315 बोर की रायफल क्रमांक-862515 के बारे में कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसके संबंध में मूल अपराध थाना दिमनी जिला मुरैना में पंजीबद्ध बताया गया है। जहाँ उसका निराकरण होगा। एवं जप्तशुदा समस्त कपड़े छः व चप्पल मूल्यहीन होने से अपील अवधि उपरान्त नष्ट किये जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

32. निर्णय की एक प्रति डी0एम0 भिण्ड को भेजी जावे।

दिनांक: **16.10.2015**

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश (डकैती)
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश (डकैती)
गोहद जिला भिण्ड